कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक न–5 / सीएफओ– KDR / 23

ईमेल–cfopwl.ukfs@gmail.com
दिनांक: सितम्बर 25 2023

स्वामी / प्रबन्धक,
THE MARSHALL PUBLIC SCHOOL
SRINAGAR
DISTT- PAURI GARHWAL

विषय:– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र Pre-Operational के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर–33877722 दिनांक 08.09.2023 जो कि Uttarakhand Fire And Emergency Service के बेब पेज पर प्राप्त हुआ है के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी गढ़वाल द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी गढ़वाल की निरीक्षण आख्या दिनांक 16.09.2023 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन / संस्थान एक शैक्षणिक भवन हैं। जिसमें भूतल एवं प्रथम तल निर्मित हैं, जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 800 वर्ग मी0 है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 854.54 वर्ग मी0 है। भवन / संस्थान की ऊंचाई 06 मी0 है। भवन संस्थान में बेसमेन्ट नही है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342 / XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांकः 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांकः 25 सितम्बर, 2023 से 24 सितम्बर 2026 (3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण–पत्र निम्न बिन्दुओं के अनुपालन के दृष्टिगत सशर्त जारी किया जाता है।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखा जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया के निर्माण Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाय।
5. इस अनापत्ति प्रमाण–पत्र की उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र / Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य है न किये जाने पर प्रदत्त प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान के मानचित्र स्वीकृती सम्बन्धी अन्य विभाग द्वारा आपत्ति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी / प्रबन्धक की होगी एवं अन्य विभाग / अनुगन्य प्राधिकरण (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रदत्त पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
9. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों / एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

25/9/23

(राजेन्द्र सिंह खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।